पत्रांक –2/स्था0–06–05/2016/......................../आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक

अनिरुद्ध कुमार, भा0प्र0से0
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में

निदेशक,
सूचना एवं जन संपर्क विभाग,
बिहार, पटना ।

पटना–15, दिनांक –

विषय :आपदा प्रबंधन विभाग में लेखा पदाधिकारी, प्रशाखा पदाधिकारी एवं सहायक के रिक्त पद पर क्रमशः सरकारी सेवा से सेवानिवृत लेखा पदाधिकारी एवं बिहार सचिवालय सेवा के सेवानिवृत प्रशाखा पदाधिकारियों, सहायकों को संविदा के आधार पर नियोजन से संबंधित विज्ञापन प्रकाशित कराने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के अधीन निम्नांकित तालिका में दर्शाये गए पदों के विरुद्ध संविदा पर नियोजन के लिये सुयोग्य उम्मीदवारों से आवेदन–पत्र आमंत्रित करने हेतु विज्ञापन प्रकाशित कराने का निर्णय लिया गया है। विज्ञापन की हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी (सीडी) पत्र के साथ संलग्न है ।

क्र0सं0	पदनाम	पदों की संख्या	सेवा शर्त
1	लेखा पदाधिकारी	01	अनुसूची–I
2	प्रशाखा पदाधिकारी	01	अनुसूची–II
3	सहायक	04	अनुसूची–III

अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त विज्ञापन का प्रकाशन विभिन्न राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय (बिहार) दैनिक समाचार–पत्रों में यथाशीघ्र प्रकाशित कराने की कृपा की जाय ।

अनुलग्नक –अनुसूची–I,II,III
आवेदन प्रपत्र एवं सी0डी0

विश्वासभाजन

ह0/–
(अनिरुद्ध कुमार)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक – 466 /आ0प्र0, पटना–15, दि0–21/2/18

प्रतिलिपि–प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/आई0टी0 मैनेजर, आपदा प्रबंधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। विभागीय आई0टी0मैनेजर को आदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त विज्ञापन को सेवा शर्त एवं आवेदन पत्र प्रारूप सहित विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करें।

सरकार के अपर सचिव

E:\(PC -5) 2017\Draft\Adv. 09-02-2018.docx

अनुसूची–1

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग
।।सूचना।।

सेवानिवृत लेखा पदाधिकारी के संविदा आधारित नियुक्ति हेतु सूचना

आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के लिए संविदा के आधार पर सृजित लेखा पदाधिकारी के 1(एक) पद के विरुद्ध नियोजन हेतु सरकारी सेवा से सेवानिवृत लेखा पदाधिकारियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :–

क्रम सं0	पद एवं देय पारिश्रमिक	पद की संख्या	भर्ती की योग्यता	कोटिवार अनुमान्य पद
1	लेखा पदाधिकारी 20,000/– रूपये प्रतिमाह नियत पारिश्रमिक	01(एक)	सरकारी सेवा से सेवानिवृत लेखा पदाधिकारी ही पात्र होंगे ।	अनारक्षित–1

नियोजन हेतु अधिकतम आयु सीमा एवं अन्य शर्तें :–

1. संविदा पर नियोजन हेतु अधिकतम 65 वर्ष की आयु सीमा होगी। आयु सीमा की गणना दिनांक –01.03.2018 के आधार पर की जाएगी ।
2. यह नियोजन संविदा के आधार पर 1(एक) वर्ष के लिए किया जाएगा तथा उनकी कार्यक्षमता एवं आचरण उत्तम रहने पर आवश्यकतानुसार अधिकतम एक वर्ष तक सेवा विस्तार दिया जा सकेगा।
3. यदि संविदा की अवधि की समाप्ति के पूर्व उसका विस्तार नहीं हो जाता है तो ऐसी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जाएगी। इस हेतु कोई आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा ।
4. संविदा के आधार पर नियोजित व्यक्ति को प्रतिमाह 20,000/– (बीस हजार) रूपये एक मुश्त नियत पारिश्रमिक देय होगा एवं इसके अतिरिक्त अन्य कोई राशि या भत्ता देय नहीं होगा ।
5. नियोजित व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जाएँगे और न ही सरकारी सेवकों को अनुमान्य किसी भी सुविधा के हकदार माने जाएँगे। इस प्रकार नियोजित व्यक्ति का नियोजन के पश्चात् सरकारी सेवा में नियमितीकरण का दावा मान्य नहीं होगा ।
6. चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर चयनित /अनुशंसित पैनल से नियोजन किया जायेगा। चयन समिति आवश्यकतानुसार काउंसलिंग कर अपनी अनुशंसा देगी ।
7. नियोक्ता एवं संविदा के आधार पर नियोजित किये जाने वाले व्यक्ति के बीच विहित प्रपत्र में एकरारनामा किया जायेगा ।
8. आवेदन पत्र के साथ सरकारी सेवा में नियुक्ति संबंधी प्रमाण–पत्र एवं सेवानिवृति प्रमाण–पत्र, स्वास्थ्य, संलग्न करना आवश्यक है ।
9. आवेदन पत्र सूचना प्रकाशन के दो सप्ताह के अंदर मुहरबंद लिफाफे में अपर सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से पहुँच जाना चाहिए। नियत अवधि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा ।

19/1/18

(अनिरुद्ध कुमार)
सरकार के अपर सचिव
आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना

E:\2017\Emp. Notice 07 02.docx

नियोजन हेतु आवेदन प्रपत्र

उम्मीदवार का अभिप्रमाणित नवीनतम रंगीन फोटोग्राफ

1. आवेदित पद का नाम –
2. आवेदक का नाम –
3. आवेदक के पिता/पति का नाम –
4. स्थायी पता –
5. पत्राचार का पता –
6. आवेदक की जन्मतिथि –
   (जन्म से संबंधित प्रमाण–पत्र की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें ।)
7. शैक्षणिक योग्यता –
   (सभी प्रमाण–पत्र की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें ।)
8. कार्यालय का नाम जहाँ से सेवानिवृत्त हुए हैं :–
9. सेवानिवृत्ति की तिथि –
10. सेवानिवृत्ति के समय पदनाम :–
11. सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त होने वाले वेतन/पे–बैण्ड/महँगाई भत्ता एवं अन्य कुल प्राप्त होने वाले राशि (पेंशन स्वीकृत्यादेश आदेश की छाया प्रति संलग्न करें):–
12. वर्तमान में पेंशन की राशि :–
13. मोबाईल नं0 :–

<u>घोषणा पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन–पत्र में दी गयी सूचनाएँ मेरी जानकारी में सही एवं सत्य हैं। मेरे द्वारा न तो कोई सूचना छिपायी गयी है और न ही अनुचित ढंग से प्रस्तुत की गयी है। यदि भविष्य में किसी स्तर पर दी गयी जानकारी से किसी प्रकार की भिन्नता पायी जाती है तो मेरी उम्मीदवारी/नियोजन बिना किसी पूर्व सूचना के ही अस्वीकृत किया जा सकता है एवं विधिक कार्रवाई की जा सकती है ।

आवेदक का हस्ताक्षर

अनुसूची–II

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग
मुख्य सचिवालय, पटना–800015
ii नियोजन सूचना ii
सेवानिवृत्त प्रशाखा पदाधिकारी के संविदा आधारित नियोजन हेतु सूचना

आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के अधीन प्रशाखा पदाधिकारी के 01 (एक) रिक्त पद (अनारक्षित–01 पद) पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु बिहार सचिवालय सेवा से सेवानिवृत्त प्रशाखा पदाधिकारियों से सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–10000 दि0–10.07.2015 के आलोक में निम्नांकित शर्त्तों के साथ सुयोग्य उम्मीदवारों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :–

नियोजन की शर्त्तें :–

1. विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को न्यूनतम आयु 60 वर्ष तथा कार्यरत रहने की अधिकतम आयु 65 वर्ष होगी।
2. संविदा के आधार पर चयन प्रथमतः 02 (दो) वर्षों अथवा उक्त पद पर नियमित नियुक्ति होने तक के लिए होगा तथा अधिकतम उम्र 65 वर्ष तक आवश्यतानुसार एक–एक वर्ष के लिए उनकी सेवा का विस्तार उनकी कार्यों की समीक्षा के उपरांत किया जा सकेगा।
3. नियोजित कर्मी द्वारा किये जा रहे कार्यों की समीक्षा समय–समय पर की जाएगी तथा कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में उनकी संविदा रद्द की जा सकेगी।
4. नियोजित कर्मियों का मासिक मानदेय उन्हें प्राप्त होने वाले अंतिम वेतन एवं महँगाई भत्ते के योगफल में से पेंशन की राशि एवं उस पर प्राप्त महँगाई भत्ते के योगफल को घटाने के बाद जो राशि होगी, वही होगा।
5. अनुबंध के आधार पर नियोजित व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जाएँगे और न ही सरकारी सेवकों को अनुमान्य किसी भी सुविधा के हकदार होंगे। इस प्रकार नियोजित व्यक्तियों द्वारा नियोजन के पश्चात् सरकारी सेवा में नियमितीकरण का दावा मान्य नहीं होगा।
6. यह नियोजन पूर्णरूपेण औपबंधिक होगा एवं संविदा अवधि समाप्ति से पूर्व उभय पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना देकर उसे समाप्त किया जा सकेगा ।
7. उक्त पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति के उपरांत नियुक्ति के फलस्वरूप पदस्थापन होते ही संविदा पर नियोजित कर्मी की सेवा स्वतः समाप्त हो जायेगी ।
8. आवेदन के साथ अभ्यर्थी को पिछले 05 वर्षों की वार्षिक गोपनीय अभियुक्ति/कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना होगा।
9. सेवानिवृत्त कर्मी के द्वारा सरकारी कार्य हेतु स्वस्थ होने के संबंध में असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र आवेदन के साथ देना होगा।
10. इच्छुक सेवानिवृत्त कर्मी इस आशय का शपथ पत्र भी संलग्न करेंगे कि सेवाकाल में उनके विरूद्ध कोई आरोप या विभागीय कार्यवाही लंबित नहीं रहा है।
11. इच्छुक सेवानिवृत्त कर्मी अपना पूर्ण विवरण विहित प्रपत्र में हाथों–हाथ या निबंधित पत्र के माध्यम से **आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना, पुराना सचिवालय, पटना–800015** में जमा करेंगे। विज्ञापन प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर आवेदन समर्पित किया जा सकेगा। आवेदन प्रपत्र एवं सूचना विभागीय बेवसाईट www.disastermgmt.bih.nic.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है ।
12. आवेदन पत्र को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार सरकार के पास सुरक्षित रहेगा। इसके लिए किसी प्रकार का पत्राचार मान्य नहीं होगा।

(अनिरूद्ध कुमार)
अपर सचिव
आपदा प्रबंधन विभाग।

E:\2017\Emp. Notice 07 02.docx

नियोजन हेतु आवेदन प्रपत्र

उम्मीदवार का अभिप्रमाणित नवीनतम रंगीन फोटोग्राफ

1. आवेदित पद का नाम –
2. आवेदक का नाम –
3. आवेदक के पिता/पति का नाम –
4. स्थायी पता –
5. पत्राचार का पता –
6. आवेदक की जन्मतिथि –
   (जन्म से संबंधित प्रमाण–पत्र की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें ।)
7. शैक्षणिक योग्यता –
   (सभी प्रमाण–पत्र की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें ।)
8. कार्यालय का नाम जहाँ से सेवानिवृत्त हुए हैं :–
9. सेवानिवृत्ति की तिथि –
10. सेवानिवृत्ति के समय पदनाम :–
11. सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त होने वाले वेतन/पे–बैण्ड/महँगाई भत्ता एवं अन्य कुल प्राप्त होने वाले राशि (पेंशन स्वीकृत्यादेश आदेश की छाया प्रति संलग्न करें):–
12. वर्तमान में पेंशन की राशि :–
13. मोबाईल नं0 :–

<u>घोषणा पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन–पत्र में दी गयी सूचनाएँ मेरी जानकारी में सही एवं सत्य हैं। मेरे द्वारा न तो कोई सूचना छिपायी गयी है और न ही अनुचित ढंग से प्रस्तुत की गयी है। यदि भविष्य में किसी स्तर पर दी गयी जानकारी से किसी प्रकार की भिन्नता पायी जाती है तो मेरी उम्मीदवारी/नियोजन बिना किसी पूर्व सूचना के ही अस्वीकृत किया जा सकता है एवं विधिक कार्रवाई की जा सकती है ।

आवेदक का हस्ताक्षर

अनुसूची– III

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग
मुख्य सचिवालय, पटना–800015

ii नियोजन सूचना ii

सहायक के पद पर सेवानिवृत्त कर्मियों का संविदा आधार पर नियोजन

आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के अधीन सहायक के 04 (चार) रिक्त पदों (अनारक्षित–02 पद, अ0पि0व0–01 पद एवं अनु0 जाति–01 पद) पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु बिहार सचिवालय सेवा से सेवानिवृत्त सहायकों से सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–10000 दि0–10.07.2015 के आलोक में निम्नांकित शर्त्तों के साथ आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :–

नियोजन का शर्त्त :–

1. विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को न्यूनतम आयु 60 वर्ष तथा कार्यरत रहने की अधिकतम आयु 65 वर्ष होगी।
2. संविदा के आधार पर चयन प्रथमतः 02 (दो) वर्षों अथवा उक्त पद पर नियमित नियुक्ति होने तक के लिए होगा तथा अधिकतम उम्र 65 वर्ष तक आवश्यतानुसार एक–एक वर्ष के लिए उनकी सेवा का विस्तार उनकी कार्यों की समीक्षा के उपरांत किया जा सकेगा।
3. नियोजित कर्मी द्वारा किये जा रहे कार्यों की समीक्षा समय–समय पर की जाएगी तथा कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में उनकी संविदा रद्द की जा सकेगी।
4. नियोजित कर्मियों का मासिक मानदेय उन्हें प्राप्त होने वाले अंतिम वेतन एवं महँगाई भत्ते के योगफल में से पेंशन की राशि एवं उस पर प्राप्त महँगाई भत्ते के योगफल को घटाने के बाद जो राशि होगी, वही होगा।
5. अनुबंध के आधार पर नियोजित व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जाएँगे और न ही सरकारी सेवकों को अनुमान्य किसी भी सुविधा के हकदार होंगे। इस प्रकार नियोजित व्यक्तियों द्वारा नियोजन के पश्चात् सरकारी सेवा में नियमितीकरण का दावा मान्य नहीं होगा।
6. यह नियोजन पूर्णरूपेण औपबंधिक होगा एवं संविदा अवधि समाप्ति से पूर्व उभय पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना देकर उसे समाप्त किया जा सकेगा ।
7. उक्त पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति के उपरांत नियुक्ति के फलस्वरूप पदस्थापन होते ही संविदा पर नियोजित कर्मी की सेवा स्वतः समाप्त हो जायेगी ।
8. आवेदन के साथ अभ्यर्थी को पिछले 05 वर्षों की वार्षिक गोपनीय अभियुक्ति/कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना होगा।
9. सेवानिवृत्त कर्मी के द्वारा सरकारी कार्य हेतु स्वस्थ होने के संबंध में असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र आवेदन के साथ देना होगा।
10. इच्छुक सेवानिवृत्त कर्मी इस आशय का शपथ पत्र भी संलग्न करेंगे कि सेवाकाल में उनके विरूद्ध कोई आरोप या विभागीय कार्यवाही लंबित नहीं रहा है।
11. इच्छुक सेवानिवृत्त कर्मी अपना पूर्ण विवरण विहित प्रपत्र में हाथों–हाथ या निबंधित पत्र के माध्यम से **आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना, पुराना सचिवालय, पटना–800015** में जमा करेंगे। विज्ञापन प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर आवेदन समर्पित किया जा सकेगा। आवेदन प्रपत्र एवं सूचना विभागीय बेवसाईट www.disastermgmt.bih.nic.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है ।
12. आवेदन पत्र को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार सरकार के पास सुरक्षित रहेगा। इसके लिए किसी प्रकार का पत्राचार मान्य नहीं होगा।

(अनिरूद्ध कुमार)
अपर सचिव
आपदा प्रबंधन विभाग।

E:\2017\Requirement (Asst. 18)\Asst. 18.docx

नियोजन हेतु आवेदन प्रपत्र

उम्मीदवार का अभिप्रमाणित नवीनतम रंगीन फोटोग्राफ

1. आवेदित पद का नाम –
2. आवेदक का नाम –
3. आवेदक के पिता/पति का नाम –
4. स्थायी पता –

5. पत्राचार का पता –

6. आवेदक की जन्मतिथि –
   (जन्म से संबंधित प्रमाण–पत्र की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें ।)
7. शैक्षणिक योग्यता –
   (सभी प्रमाण–पत्र की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें ।)
8. आरक्षण कोटि –
   (सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण–पत्र की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें।)
   (आरक्षण का लाभ केवल बिहार राज्य के निवासियों को ही अनुमान्य होगा।)
9. कार्यालय का नाम जहाँ से सेवानिवृत्त हुए हैं :–
10. सेवानिवृत्ति की तिथि –
11. सेवानिवृत्ति के समय पदनाम :–
12. सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त होने वाले वेतन/पे–बैण्ड/महँगाई भत्ता एवं अन्य कुल प्राप्त होने वाले राशि (पेंशन स्वीकृत्यादेश आदेश की छाया प्रति संलग्न करें):–
13. वर्तमान में पेंशन की राशि :–
14. मोबाईल नं0 :–

<u>घोषणा पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन–पत्र में दी गयी सूचनाएँ मेरी जानकारी में सही एवं सत्य हैं। मेरे द्वारा न तो कोई सूचना छिपायी गयी है और न ही अनुचित ढंग से प्रस्तुत की गयी है। यदि भविष्य में किसी स्तर पर दी गयी जानकारी से किसी प्रकार की भिन्नता पायी जाती है तो मेरी उम्मीदवारी/नियोजन बिना किसी पूर्व सूचना के ही अस्वीकृत किया जा सकता है एवं विधिक कार्रवाई की जा सकती है ।

आवेदक का हस्ताक्षर